UPLL010029982022

न्यायालय District and Sessions Judge, Lalitpur

पीठासीन अधिकारी– (HONBLE SHRI CHANDRODAY KUMAR H.J.S), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06553

दाण्डिक निगरानी संख्या 94/2022

भगवान सिंह उम्र करीब 50 वर्ष, पुत्र श्री लोटनसिंह, निवासी ग्राम रजौरा, थाना मडावरा, जिला ललितपुर।

-------प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

------विपक्षी।

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता भगवान सिंह की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, जिला ललितपुर द्वारा एफ.आर. संख्या 11 सन 2022 भगवान सिंह बनाम सरमन धारा 279, 338 भा.द.सं. में पारित आदेश दिनाँकित 31.08.2022 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है , जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने मुकदमा अपराध संख्या 94/2021 अन्तर्गत धारा 279, 338 भा.द.सं. थाना मडावरा जिला ललितपुर में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को निरस्त कर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

2– निगरानी में आधार लिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को अनदेखा कर मनमाने ढंग से यन्त्रचालित रूप से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। मामले की तत्काल सूचना के पश्चात कोई एफ.आई.आर. थाने पर दर्ज नहीं की गयी थी। जिस पर घायल ने घर लौटने के पश्चात दिनाँक 13.05.2021 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर दिनाँक 27.05.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। दुर्घटना कूडे के ढेर व गायों से टकराने के कारण कुछ अजनबी गवाहों के बयान लिखकर खारिज करना बताया गया है, जबकि नक्शा नजरी में कूड़े के ढेर नहीं है और न ही गाय खड़ी होने के संबंध में कोई संकेत है। घटना स्थल बीच रोड का, जहां पर कूड़े का ढेर होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नक्शा नजरी के चारो ओर के मकानात के गवाहों के बयान नहीं लिये हैं। सभी के बयान एक समान है तथा बयान में वादी का मोटरसाईकिल चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बताया है। विवेचक ने चुनाव ड्यूटी पर रहे कांस्टेबल प्रदीप कुमार व रामनरेश गोचर के बयान दूरभाष पर दर्ज किये हैं तथा उसका समय अंकित नहीं है। उनके बयान भी गवाहों की तरह ज्यों के त्यों हैं। न्यायालय द्वारा एफ.आर. निरस्त कर अभियुक्त को तलब किया जाना चाहिए था अथवा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में वैकल्पिक अनुतोष के रूप में अतिरिक्त विवेचना करायी जाना आवश्यक था। अतः आलोच्य आदेश निरस्त कर धारा 190(1) के तहत संज्ञान लिये जाने अथवा अग्रिम विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

3– निगरानीकर्ता की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 5ख के माध्यम से आलोच्य आदेश दिनाँकित 31.08.2022 की प्रति पेपर संख्या 6क/1 लगायत 6क/2 प्रस्तुत किये गये हैं।

4– मेरे द्वारा विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया। निगरानीकर्ता की ओर से न तो स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है और न ही कोई उपस्थित है। पत्रावल का अवलोकन किया गया।

5– प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 94/2021 अन्तर्गत धारा 279, 338 भा.द.सं. पंजीकृत किया गया था, जिसमें बाद विवेचना पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी। उक्त अंतिम आख्या के विरुद्ध निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत कर अंतिम आख्या को निरस्त करने

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.03.18 15:12:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की याचना की गयी थी, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक 31.08.2022 को यह निष्कर्षित करते हुए कि संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किये जाने के ठोस आधार नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों, गवाहान एवं विपक्षी, समय व स्थान की पूर्ण जानकारी है, पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को निरस्त प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रकरण की विवेचना पुलिस द्वारा सही ढंग से नहीं की गयी है पुलिस द्वारा अजनबी व्यक्तियों के बयान अंकित कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त करते हुए वादी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया है। बाद विवेचना धारा 173(1) द.प्र.सं. के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन विकल्प होते हैंः (1) मजिस्ट्रेट अंतिम आख्या स्वीकार कर सकता है, (2) मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर मामले में धारा 190(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत संज्ञान लेकर अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिकाएं जारी कर सकता है अथवा (3) द.प्र.सं. की धारा 190(1)(ए) के अन्तर्गत प्रकरण की कार्यवाही परिवाद के रूप में संस्थित करके मामले की स्वयं जाँच करने हेतु वादी के धारा 200 द.प्र.सं. व उसके साक्षियों के सशपथ बयान हेतु कार्यवाही अग्रसारित कर सकता है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को मामले से संबंधित समस्त तथ्यों की जानकारी है तथा वह अपने मामले को न्यायालय में साबित कर सकता है। इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया यह निष्कर्ष की न्यायालय द्वारा प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच किया जाना न्यायोचित है, विधिक है।

6– अतः विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिक है तथा आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा एफ.आर. संख्या 11 सन 2022 भगवान सिंह बनाम सरमन अन्तर्गत धारा 279, 338 भा.द.सं. थाना मडावरा में पारित आदेश दिनाँकित 31.08.2022 पुष्ट किया जाता है। निर्णय की प्रति विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली पर रखे जाने हेतु विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँकः 18.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार),
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

निर्णय उपरोक्त मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 18.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार),
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।